

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग रायपुर (छ.ग.)

ज्ञाप. क. 1811/शिल्प/काजल नदी जबर्रा/2020
प्रति,

धमतरी, दिनांक 11/05/2020

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल धमतरी
जिला धमतरी (छ.ग.)

विषय:- Divrsion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Construction of high level bridge across Kajal River on Jawarra Road, area- 1.701 ha.-Regarding
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/25789/2017 दिनांक 09/11/2017 ।

-----0000-----

विषयान्तर्गत धमतरी जिले के धमतरी वनमण्डल अन्तर्गत वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जबर्रा - नगरी मार्ग में काजल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कुल रकबा 1.701 हेक्ट. वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (44 बिन्दुओं का) 7 प्रतियों में तैयार कर आवेदित क्षेत्र का डी.जी. पी.एस. सर्वे रिपोर्ट सहित प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति की कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र:- प्रस्ताव 7 प्रतियों में।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण
संभाग रायपुर (छ.ग.)
धमतरी, दिनांक /05/2020

पृ.क. शिल्प/काजल नदी जबर्रा/2020
प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी को सूचनार्थ।
2. श्री योगेश कुमार साहू उपअभियंता लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी को सूचनार्थ।



सहपत्र:- शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण
संभाग रायपुर (छ.ग.)